UPRB010014302026

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–576/2026

अलीम उम्र 32 वर्ष, पुत्र इनायत उल्ला, निवासी ग्राम पहाड़पुर मजरे करनगांव, थाना इन्हौना, जिला अमेठी।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..अभियोगी।

एवं

UPRB010015602026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–612/2026

हदीसुल निशा उर्फ हदीमुल निशा आयु लगभग 46 वर्ष पत्नी अंसार, निवासिनी ग्राम पहाड़पुर मजरे करनगांव, थाना इन्हौना, जिला अमेठी।

...प्रार्थिनी/अभियुक्ता।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..विपक्षी/अभियोगी।

16.03.2026

उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं, अतः सुविधा के दृष्टिकोण से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। मूल जमानत आदेश जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 576/2026, अलीम प्रति उ०प्र०राज्य में पारित किया जा रहा है। आदेश की एक–एक प्रति शेष जमानत प्रार्थना पत्र पर रखी जाए।

आवेदक/अभियुक्तगण **अलीम** एवं **हदीसुल निशा उर्फ हदीमुल निशा** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अपराध सं०–**10/2026**, धारा–**3/5/8 गोवध निवारण अधि० एवं धारा–11(1) पशु क्रूरता अधि०,** थाना **इन्हौना,** जिला **अमेठी** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/उपनिरीक्षक द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी गयी कि–दिनांक 20.02.2026 मैं देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन मे शेखनगांव की तरफ मामूर था तभी जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम पहाडपुर के जंगल मे जुनैद, उमेर, महमूद, सहवान राजा, सना परवीन गोकशी की घटना का अंजाम दे रहे है। यदि जल्दी किया जाये तो पकडे जा सकते है। मुखबिरखास की सूचना पर विश्वास करके मैं उ०नि० मय हमराही कर्मचारीगण के मय मुखबिर के साथ पहाडपुर गांव जंगल के पास पंहुचा मुखबिर ने दूर से

इशारा कर बताया कि जंगल मे जो खटखट की आवाज सुनाई दे रही है। है। वंही पर गोकशी हो रही है। मुखबिर बताकर चला गया। हम पुलिस वाले अपने आप को छुपते छुपाते हुये करीब पहुंचकर देखा कि चार व्यक्ति और एक महिला कुल पांच व्यक्ति मौजूद है जिसमे से दो व्यक्ति मांस के टुकडे को काट कर छोटे छोटे कर रहे है और दो व्यक्ति और एक महिला मिलकर मांस के किये हुये टुकडे को तौलकर पालीथीन में पैक कर रहे है जब हम पुलिस वालों को पूर्णरूप से विश्वास हो गया कि यह लोग गोकशी ही कर रहे है तभी एकबारगी दबिश देकर मौके पर पकडने का प्रयास किया गया तो एक व्यक्ति तथा महिला अपने अपने हाथ मे गोमांस भरा पालीथीन लेकर तथा तीन व्यक्तियो मे से एक व्यक्ति अपने हाथ में चापड दूसरा व्यक्ति अपने हाथ मे लकडी का ठीहा व तीसरा व्यक्ति अपने हाथ मे चटाई लेकर जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे मौके पर देखा गया कि गौवंश के सिर, पैर तथा अन्य अवशेष एवं करीब 11 किग्रा0 गोमांस तथा एक अदद चापड, 50 पालीथीन एक अदद तराजू, 1 किग्रा0 का बाट मौके पर मौजूद है जो बरामद हुआ। भागे हुये व्यक्तियो का यह कृत्य जुर्म धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम का दण्डनीय अपराध है। यह घटना समय करीब 15.30 बजे की है। उक्त घटना की सूचना पर पशु चिकित्सक मौके पर उपस्थित आये। मौके पर ही एक डिब्बे में गौमांश का नमूना लेकर सील सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा शेष बरामदशुदा गोमांस व अवशेष को गड्ढे मे डलावकार मिट्टी से दबवाया गया। मौके पर बरामद एक अदद चापड, 50 अदद पालीथीन, एक अदद तराजू एवं एक किग्रा का बांट को एक सफेद कपडे पडे मे मे रखकर अलग–अलग सील सर्व मुहर कर नमूना मुहर कर तैयार किया गया। बरामदगी के समय जनता के लोग आ गये जिससे गवाही देने हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के डर से बिना नाम पता बताये एकएक कर चले गये। मौके से बरामद एक अदद मोटरसाईकिल UP 36 U 3089 काले रगं की अपाचे को कब्जा पुलिस मे लिया गया। शाम का वक्त होने से हल्का हल्का अंधेरा होने के कारण फर्द मौके पर टार्च की रोशनी मे लिखी गयी। फर्द पढ़कर सुनाकर सभी के अलामात बनवाये जा रहे है।

आवेदक–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, गांव की पार्टीबंदी के कारण पुलिस से सांठ–गाठकर उन्हें झूठे तथ्यों के आधार पर गलत फंसा दिया गया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी जनता का नही है जो यह साबित कर सके कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त घटना कारित की गयी है जबकि कथित घटना पहाडपुर गांव के बगल बाग/जगंल की कही जाती है जहां पर बराबर लोगो का आवागमन बना रहता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण न तो मौके पर पकड़े गये है और न ही प्रार्थी/अभिगण के पास से किसी प्रकार की सम्बन्धित कोई बरामदगी हुई है। स्थानीय पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुल पांच अभियुक्तो की मौजूदगी होना कहा है जिसमें अभियुक्त की मौजूदगी नही दर्शायी गयी है। स्थानीय पुलिस द्वारा कथित घटना का समय दिन के 3.30 बजे सांय की कही जाती है तथा फर्द लिखते समय अंधेरा होने के कारण टार्च की रोशनी मे फर्द लिखा जाना स्वयं में एक भ्रामक एंव बनावटी प्रतीत होती है। प्रार्थी/अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध हैं। इन परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण की घटना में पूर्णरूप संलिप्तता पायी गयी है। उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

उल्लेखनीय है कि अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की मूल केसडायरी प्रस्तुत न करके मात्र केसडायरी की प्रिंटेड प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण की सी०डी० सं०–1 से स्पष्ट है कि तहरीर उ०नि० कृष्ण मोहन मिश्रा (वादी) द्वारा अभियुक्तगण जुनैद, उमेर, महमूद, सहवान राजा व सना परवीन के विरुद्ध नामजद अंकित कराई गई है। केसडायरी में चिक/नकल फर्द बरामदगी में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 20.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर पहाड़पुर जंगल के पास मांस के टुकड़ों को पालीथीन में पैक कर रहे दो व्यक्ति और एक महिला को एकबारगी दबिस देकर पकड़ने का प्रयास किया तो एक व्यक्ति अपने हाथ में चापड़, दूसरा व्यक्ति अपने हाथ में लकड़ी का ठीहा व तीसरा व्यक्ति अपने हाथ में चटाई लेकर जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। घटनास्थल से गौवंश के सिर पैर व अन्य अवशेष एवं 11 किग्रा० गोमांस तथा एक अदद चापड, 50 पालीथीन, एक अदद तराजू, 1 किग्रा० का बाट बरामद किये जाने का उल्लेख नकल फर्द बरामदगी में किया गया है। बचावपक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कथित गिरफ्तारी व बरामदगी फर्जी है जो थाने पर बैठकर बनाई गई है तथा बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। बचावपक्ष द्वारा न्यायालय का ध्यान इस बिन्दु की ओर आकृष्ट किया गया है कि सी०डी० सं०–2 पर दिनांक 21.02.2026 को 12 बजे जांच प्रारम्भ कर 14 बजे जांच समाप्त किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी समय करीब 7:20 बजे किया जाना दर्शाया गया है। सी०डी० सं०–2 दिनांकित 21.02.2026 के पृष्ठ सं०–5 पर उल्लेख किया गया है कि, "आपके द्वारा जो घटना कल कारित की गई है उसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 10/26, धारा–3/5/8 गोवध नि० अधि० में वांछित अभियुक्तगण बताकर समय करीब 7:20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया व एक अदद लकड़ी का ठीहा को सफेद कपड़े में व बरामदशुदा एक अदद चापड़ व दो अदद छूरा चापड़ को अलग–अलग कपड़ों में रखकर थानाध्यक्ष द्वारा सर्व सील मुहर कर नमूना मौहर तैयार किया गया।" उल्लेखनीय है कि सी०डी० सं०–2 में जांच प्रारम्भ करने का समय 12 बजे तथा जांच समाप्त करने का समय 14 बजे अंकित है, ऐसे में प्रकरण के अभियुक्तगण को 7:20 बजे गिरफ्तार किया जाना किस प्रकार सम्भव हो सका, यह स्पष्ट नहीं किया गया है तथा अपराध सं०–10/26 की कथित घटना में प्रयुक्त एक अदद लकड़ी का ठीहा, एक अदद चापड़ व दो अदद छूरा को अभियुक्त जुनैद के बताये गये स्थान पुरानी मुर्दही बाउन्ड्री के अन्दर एक कमरे में आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा लेकर छिपे होने का उल्लेख किया गया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते है। आवेदक/अभियुक्तगण **अलीम** एवं **हदीसुल निशा उर्फ हदीमुल निशा** को अपराध संख्या–**10/2026**, धारा–**3/5/8 गोवध निवारण अधि० एवं धारा–11(1) पशु क्रूरता अधि०,** थाना **इन्हौना,** जिला **अमेठी** के मामले में, उनके द्वारा पचास–पचास

हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्तगण दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगें।

2– यह कि आवेदक–अभियुक्तगण इस आशय का वचन दाखिल करेगें कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगें और यदि अभियुक्तगण के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदक–अभियुक्तगण प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगें।

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।
II. आरोप गठित होने की तिथि में।
III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक/अभियुक्तगण की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(श्रीमती प्रतिमा)
जे.ओ. कोड–UP02637
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
16.03.2026

Aryan Patel
Stenographer

Digitally signed by PRATIMA TIWARI
Date: 2026.03.17 15:52:12 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court, Raebareli